भाग बी - परिभाषा

इस पॉलिसी दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दावली/शब्दों की परिभाषा इस प्रकार है:

1. **आयु** पॉलिसी शुरू होने के समय बीमित व्यक्ति के निकटतम जन्मदिन की आयु 8 साल की आयु के लिए जिसके लिए आयु पूरी वर्षो में है.
2. **नियुक्त व्यक्ति** वह जिसे पॉलिसी के तहत सुरक्षित आय/लाभ देय है अगर लाभ नामिती को देय हो जाता है और दावा भुगतान की तारीख पर नामिती अवयस्क है.
3. **समनुदेशिती** व्यक्ति वह जिसे एक समनुदेशन के आधार पर अधिकार और लाभ स्थानांतरित किया गया है.
4. **समनुदेशन** यह बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत "समनुदेशिती" को अधिकार और लाभों को हस्तांतरित करने की एक प्रक्रिया है.
5. **मूल बीमित राशि** यह एक आश्वासित राशि है जो इस पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु पर देय होती है.
6. **लाभार्थी** मतलब ऐसा व्यक्ति जो इस पॉलिसी के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार है. लाभार्थी बीमित व्यक्ति या उसका समनुदेशिती या नामिती या प्रामाणिक प्रबंधक या प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि हो सकता है.
7. **निगम** मतलब एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम.
8. **पॉलिसी शुरू होने की तारीख** इस पॉलिसी की शुरुआत की तारीख है.
9. **जोखिम आरंभ होने की तारीख** यह वो तारीख है जिस पर निगम पहली प्रीमियम प्राप्ति की तारीख से सबूत के रूप में बीमा (कवर) के लिए जोखिम स्वीकार करता है.
10. **परिपक्वता तिथि** मतलब एक निश्चित तारीख जिस पर पूर्ण या आकस्मिक लाभ देय हो सकता है.
11. **मृत्यु लाभ** मतलब अनुबंध की स्थापना पर सहमत हुआ लाभ, जो मृत्यु पर देय है इस पॉलिसी में विनिर्दिष्ट है
12. **निर्वहन फार्म** ऐसा फार्म है जो पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसीधारक / दावेदार द्वारा विद्यमनता / परिपक्वता / मृत्यु लाभ का दावा करने के लिए भरा जाता है.
13. **पृष्ठांकन** मतलब इस पॉलिसी से संलग्न / जुड़ी परिस्थितियाँ जिसमें निगम को सहमत या निगम द्वारा जारी कोई भी संशोधन या आशोधन शामिल है.
14. **अतिरिक्त प्रीमियम** मतलब न्यूनतम अनुबंध प्रीमियम में प्रदान नहीं किए गए किसी भी जोखिम के लिए एक प्रभार.
15. **फ्री लुक अवधि** मतलब इस पॉलिसी के निबंधन या शर्तों की समीक्षा करने की पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि और जहाँ पॉलिसीधारक उन निबंधन या शर्तों में से किसी को सहमत नहीं है, उसके पास पॉलिसी को वापस करने का विकल्प है.
16. **गारंटीड सरेंडर मूल्य** मतलब पॉलिसी के सरेंडर पर पॉलिसीधारक को देय सरेंडर मूल्य की न्यूनतम गारंटीड राशि.
17. **आईआरडीए** मतलब बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण.
18. **बीमित** मतलब वह व्यक्ति जिसके जीवन पर बीमा कवर लिया गया है.
19. **ऋण** मतलब पॉलिसीधारक के अनुरोध पर सरेंडर मूल्य के भीतर निगम द्वारा अग्रिम में दी गई राशि है, जिस पर ब्याज देय है.
20. **परिपक्वता लाभ** मतलब लाभ, जो मैट्युरिटी पर देय है अर्थात, इस पॉलिसी दस्तावेज मे निर्दिष्ट पॉलिसी अवधि के अंत में, मैट्युरिटी की तारीख तक बीमित के जीवित रहने पर.
21. **महत्त्वपूर्ण जानकारी** मतलब जानकारी जो पॉलिसी प्राप्त करते समय बीमित को पहले से ही मालूम है जो प्रस्तुत प्रस्ताव की हमीदारी पर नजर रखी हुई है.
22. **अवयस्क** मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने आयु के 18 वर्ष भी पूरे नहीं किए हैं.
23. **नामांकन** मतलब व्यक्ति को नामांकित करने की एक प्रक्रिया है जिसका नाम प्रस्ताव प्रपत्र में "नामिती" के रूप में दिया जाता है या बाद में बीमा आधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 39 के अनुसार पृष्ठांकन शामिल किया/बदला जा सकता है.
24. **नामिती** ऐसी व्यक्ति है जिसके पास पॉलिसी की परिपक्वता से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में पॉलिसी धन को वैध मुक्ति देने का अधिकार होता है.
25. **पॉलिसी वर्षगाँठ** मतलब इस पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से एक वर्ष और इसके बाद प्रत्येक वर्ष पडने वली तिथि, परिपक्वता की तारीख तक.
26. **पॉलिसी / पॉलिसी दस्तावेज** मतलब निगम द्वारा जारी किया गया यह दस्तावेज पृष्ठांकन के साथ, यदि कोई हो, जो पॉलिसीधारक और निगम के बीच एक कानूनी अनुबंध है.
27. **पॉलिसीधारक** इस पॉलिसी का कानूनी मालिक है.
28. **पॉलिसी अवधि** मतलब वर्ष के रूप में अवधि, जिसके दौरान पॉलिसी के निबंधन और शर्तों के अनुसार संविदात्मक लाभ देय हैं.
29. **प्रीमियम** यह इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभों को सुरक्षित करने के लिए पॉलिसीधारक द्वारा देय संविदात्मक राशि है.
30. **प्रस्तावक** यह व्यक्ति जीवन बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत करता है.
31. **अनुसूची** यह पॉलिसी दस्तावेज का एक हिस्सा है जो आपके पॉलिसी का विवरण देता है.
32. **समर्पण** मतलब परिपक्वता से पहले संपूर्ण पॉलिसी की पूरी वापसी / समाप्ति.
33. **समर्पण राशि** मतलब राशि, यदि कोई हो, जो इस पॉलिसी के नियम और शर्त के अनुसार समर्पण के मामले मे देय हो जाती है.
34. **उत्तरजीविता लाभ** ऐसा लाभ है जो इस पॉलिसी अवधि के दौरान निर्दिष्ट अवधियों के अंत में बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर देय है.
35. **सारिणीबद्ध प्रीमियम** किसी भी छूट या अतिरिक्त लोडिंग के आवेदन के बिना बीमित व्यक्ति की आयु पर आधारित चुनी हुई बीमित राशि के लिए प्रीमियम है.
36. **बीमांकन** शब्द का प्रयोग जोखिम का आकलन करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए और कवर की लागत संबंधित व्यक्ति द्वारा सामना किए जोखिम के अनुपात में है यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है. बीमांकन के आधार पर, कवर की स्वीकृति या अस्वीकृति साथ ही उपयुक्त प्रीमियम या संशोधित शर्तें, यदि कोई हो की प्रयोज्यता, पर निर्णय लिया जाता है.
37. **यूआईएन** मतलब आईआरडीए द्वारा इस योजना को दिया गया विशिष्ट पहचान क्रमांक है.
38. **मुनाफे के साथ पॉलिसियाँ** मतलब पॉलिसियाँ जो पॉलिसी के नियम और शर्तो के अनुसार पॉलिसी की अवधि के दौरान उभरते अधिशेष (मुनाफे) में किसी भी शेयर के लिए हकदार हैं.

Part B - Definitions

The definitions of terms/words used in this policy document are as under:

1. **Age** is the age nearest birthday of the Life Assured at the time of the commencement of the policy except for age 8 years for which the age is in completed years.
2. **Appointee** is the person to whom the proceeds/benefits secured under the Policy are payable if the benefit becomes payable to the nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
3. **Assignee** is the person to whom the rights and benefits are transferred by virtue of an Assignment.
4. **Assignment** is the process of transferring the rights and benefits to an "Assignee" under section 38 of Insurance Act, 1938.
5. **Basic Sum Assured** is the assured amount payable on death during the term of this policy.
6. **Beneficiary** means the person who is entitled to receive benefits under this Policy. The Beneficiary may be Life Assured or his Assignee or Nominees or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives as the case may be.
7. **Corporation** means the Life Insurance Corporation of India established under Sec.3 of the LIC act, 1956.
8. **Date of commencement of policy** is the start date of this Policy.
9. **Date of commencement of risk** is the date on which the Corporation accepts the risk for insurance (cover) as evidenced by the date of the First Premium Receipt.
10. **Date of Maturity** means a fixed date on which benefit may become payable either absolutely or contingently.
11. **Death Benefit means** the benefit, agreed at the inception of the contract, which is payable on death as specified in this Policy Document.
12. **Discharge form** is the form to be filled by policyholder/claimant to claim the survival / maturity /death benefit under the policy.
13. **Endorsement** means conditions attached / affixed to this Policy incorporating any amendments or modifications agreed to or issued by the Corporation.
14. **Extra Premium** means a charge for any risk not provided for in the minimum contract premium.
15. **Free Look Period** is the period of 15 days from the date of receipt of the policy document to review the terms or conditions of this policy and where the policyholder disagrees to any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy.
16. **Guaranteed Surrender Value** is the minimum guaranteed amount of Surrender Value payable to the policyholder on surrender of the policy.
17. **IRDA** means Insurance Regulatory and Development Authority.
18. **Life Assured** is the person on whose life the insurance cover has been taken.
19. **Loan** is the interest bearing amount granted by the Corporation against the surrender value in advance on request of the policyholder.
20. **Maturity Benefit** means the benefit, which is payable on maturity i.e. at the end of the policy term as specified in this Policy Document, on life assured surviving upto the Date of Maturity.
21. **Material information** is the information already known to the Life Assured at the time of obtaining a policy which has a bearing on underwriting of the proposal submitted.
22. **Minor** is a person who has not completed 18 years of age.
23. **Nomination** is the process of nominating a person who is named as "Nominee" in the proposal form or subsequently included/changed by an endorsement, as per section 39 of the Insurance Act, 1938.
24. **Nominee** is the person who has right to give a valid discharge to the policy monies in case of the death of the Life Assured before maturity of the policy.
25. **Policy Anniversary** means one year from the date of commencement of this Policy and each date falling one year thereafter, till the date of maturity.
26. **Policy/ Policy Document** means this document along with endorsements, if any, issued by the Corporation which is a legal contract between the Policyholder and the Corporation.
27. **Policyholder** is the legal owner of this policy.
28. **Policy term** is the period, in years, during which the contractual benefits are payable as per the terms and conditions of the policy.
29. **Premium** is the contractual amount payable by the Policyholder to secure the benefits under this policy.
30. **Proposer** is a person who proposes the life insurance proposal.
31. **Schedule** is the part of policy document that gives the details of your policy.
32. **Surrender** means complete withdrawal / termination of the entire policy before maturity.
33. **Surrender Value** means an amount, if any, that becomes payable in case of surrender in accordance with the terms and condition of this policy.
34. **Survival Benefit** is the benefit payable on survival of the Life Assured at the end of specified durations during the term of this policy.
35. **Tabular premium** is the premium for the chosen Maturity Sum Assured based on the age of the Life Assured without application of any rebate or extra loading.
36. **Underwriting** is the term used to describe the process of assessing risk and ensuring that the cost of the cover is proportionate to the risks faced by the individual concerned. Based on underwriting, a decision on acceptance or rejection of cover as well as applicability of suitable premium or modified terms, if any, is taken.
37. **UIN** means the Unique Identification Number allotted to this plan by the IRDA.
38. **With Profits policies** means policies which are entitled for any share in surplus (profits) emerging during the term of the policy in accordance with the terms and conditions of the policy.

भाग सी - हितलाभ

इस पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ देय हैं :

1. **मृत्यु हितलाभ:** परिपक्वता की निर्दिष्ट दिनांक से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर
   पहले पाँच पॉलिसी वर्षों के दौरान मृत्यु होने पर:
   मूल बीमित राशि यानि कि तालिकाबद्ध सिंगल प्रीमियम का 10 गुना देय होगा.
   पाँच पॉलिसी वर्षों की समाप्ति के पश्चात मृत्यु होने पर:
   मूल बीमित राशि यानि कि तालिकाबद्ध सिंगल प्रीमियम के 10 गुना के साथ साथ, यदि कोई होंगे तो लॉयल्टी एडीशन्स भी देय होंगे.
2. **उत्तरजीविता हितलाभ:** बीमित व्यक्ति की निर्दिष्ट अवधियों की समाप्ति तक उत्तरजीविता पर निम्नलिखित उत्तरजीविता हितलाभ देय होंगे.
   10वें पॉलिसी वर्ष के अंत में : परिपक्वता बीमित राशि का 15%
   11वें पॉलिसी वर्ष के अंत में : परिपक्वता बीमित राशि का 20%
3. **परिपक्वता हितलाभ:** परिपक्वता की निर्दिष्ट दिनांक की समाप्ति तक बीमित व्यक्ति की उत्तरजीविता पर परिपक्वता बीमित राशि के 65% के साथ साथ, यदि कोई होंगे तो लॉयल्टी एडीशन्स भी देय होंगे.
4. **निगम के मुनाफों में सहभागिता:** निगम के अनुभव के आधार पर, यह पॉलिसी लॉयल्टी एडीशन्स के तौर पर अतिरिक्त राशि (मुनाफे) में हिस्सेदारी करने की पात्र होगी. लॉयल्टी एडीशन्स, यदि कोई हों, तो निगम द्वारा घोषित नियमों और दर पर, मृत्यु या सरेंडर पर देय होंगे, बशर्ते पॉलिसी कम से कम पाँच पॉलिसी वर्षों तक चली हो या पॉलिसीधारक परिपक्वता तक जीवित हो.

भाग डी

पॉलिसी में दी गई शर्तें एवं सुविधाएं

1. **आयु प्रमाण:** प्रस्ताव पत्र पर घोषित की गई परिपक्वता बीमित राशि और बीमित व्यक्ति की आयु पर प्रीमियम की गणना हो जाने के उपरांत यदि आयु उस आयु से अधिक पाई जाती है तो बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मामले में, प्रीमियम प्रवेश के समय सही आयु के लिए परिपक्वता बीमित राशि के आधार पर निकाली गई दर से देय होगा और पॉलिसी आरंभ होने से लेकर ऐसे भुगतान की तिथि तक मूल प्रमियम और सही आयु के प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और उस पर उसी अवधि के लिए निगम द्वारा उस प्रचलित दर से ब्याज सहित भुगतान करेगा. तथापि प्रावधान है कि बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक उपयुक्त संचित राशि का भुगतान न करे तो पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से निगम द्वारा समय समय पर प्रचलित दरों के ब्याज के साथ पॉलिसी के दावा बनने की तिथि तक, सही आयु के प्रीमियम और मूल प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि, उसे पॉलिसी पर बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा देय ऋण माना जाएगा तथा पॉलिसी के अंतर्गत दावा होने पर पॉलिसी की धनराशि से काट लिया जाएगा.

   यह भी प्रावधान है कि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की सही आयु जो उक्त तालिका में निर्दिष्ट बीमा वर्ग या शर्तों के अधीन बीमा के लिए उसे अयोग्य बना दे तो उसे इस पॉलिसी के प्रारंभ में प्रचलित प्रथा के अनुसार निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऐसे बीमा की योजना से बीमा वर्ग या सहतों को परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्तेकि बीमित व्यक्ति को स्वीकार हो, अन्यथा पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और ऐसे निरस्तीकरण की तिथि पर जो भी अभ्यर्पण मूल्य होगा, उसका भुगतान किया जाएगा.

2. **पॉलिसी ऋण:** प्रदान की गई पॉलिसी कम से कम एक साल तक चली हो तो पॉलिसी के समर्पण मूल्य के भीतर पॉलिसी लोन दिया जा सकता है, जो संतोषजनक स्वामित्व के प्रस्तुतिकरण एवं निम्नांकित नियमों व शर्तों तथा ऐसे आगामी नियमों व शर्तों के अधीन है जो निगम समय-समय पर तय कर सकता है.
   (i) लिए गए ऋण और उस पर देय ब्याज की वसूली के लिए जमानत के रूप में पॉलिसी पूर्णत: निगम के नाम पर समनुदेशित की जाएगी और उसके द्वारा रखी जाएगी.
   (ii) निगम को ऋण पर ब्याज का भुगतान संबंधित ऋण स्वीकृत करते समय निगम द्वारा निर्धारित दर से छमाही चक्रवृद्धि आधार पर किया जाएगा. ब्याज का प्रथम भुगतान अगली पॉलिसी वर्षगाँठ या छ :माह पूर्व आने वाली तिथि, इनमें जो भी संबंधित ऋण देने के तत्काल बाद आए, पर किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक छमाहीआधार पर किया जाएगा. ब्याज कम से कम छ :माह के लिए लिया जाएगा;
   (iii) यदि पॉलिसी परिपक्व हो जाए या जब किसी उत्तरजीविता लाभ का भुगतान नहीं हुआ या अभ्यर्पित या मृत्यु द्वारा दावा बन जाए तो निगम को हक़ होगा कि ऋण या उसके किसी बकाया अंश की राशि, पूरे ब्याज के साथ पॉलिसी की राशि में से काट ले.
   (iv) अलग अलग पॉलिसी वर्षों के लिए समर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में प्रदान किया जानेवाला अधिकतम ऋण इस प्रकार है:

पॉलिसी वर्ष	2 से 3	4 से 6	7 से 9	10 से 12
समर्पण मूल्य के % के रूप में ऋण राशि	50%	60%	70%	90%

3. **समर्पण:** पॉलिसी अवधि के दौरान पालिसी कभी भी नकदी के लिए समर्पित की जा सकती है. स्वीकार्य गारंटीड समर्पण मूल्य नीचे दिया गया है:
   - प्रथम वर्ष: भुगतान किया गया एकल प्रीमियम का 70%, कर और सभी अतिरिक्त प्रीमियमों को छोड़कर, यदि कोई हो.
   - प्रथम वर्ष के बाद: भुगतान किया गया एकल प्रीमियम का 90%, कर, भुगतान किये गये किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम और उत्तजीविता लाभ को छोड़कर, अगर पहले भुगतान किया है.

   यद्यपि इस पॉलिसी के अंतर्गत विशेष अभ्यर्पण मूल्य देय होगा, यदि यह पॉलिसीधारक के लिए अधिक हितकर हो. विशेष अभ्यर्पण मूल्य (परिपक्वता बीमित राशि कम उत्तरजीविता लाभ, अगर पहले भुगतान किया है) का रियायती मूल्य होगा. इस पॉलिसी के लिए लागू ये रियायत घटक आईआरडीए के पूर्व अनुमोदन के साथ समय-समय पर बदल सकते हैं.

   पाँच पॉलिसी वर्ष पूरे करने के बाद अगर पॉलिसी सरेंडर की जाती है, लॉएल्टी एडिशन, यदि कोई हो, देय होगा जो सरेंडर मूल्य पर आधारित होगा.

भाग ई लागू नहीं

भाग एफ

अन्य नियम एवं शर्तें

1. **फ्री लुक अवधि:** यदि पॉलिसीधारक फ्री लुक अवधि के दौरान, पॉलिसी की नियम व शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी आपत्ति का उल्लेख करते हुए पॉलिसी को वापस कर सकता/सकती है. निगम पॉलिसीधारक को कवर की गई अवधि के लिए **उचित जोखिम प्रीमियम और स्टैम्पड्यूटी चार्जेस और मेडिकल टेस्टपर हुए खर्च एवं विशेष रिपोर्टों** वगैरह पर हुआ खर्च काट कर आपके भरे हुए सिंगल प्रीमियम का रिफंड करेगा और पॉलिसी रद्द कर देगा.
2. **समनुदेशन और नामांकन:** बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 38 के अनुसार इस योजना के अंतर्गत समनुदेशन की अनुमति है.
   बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 39 के अनुसार जीवन बीमा के पॉलिसी धारक द्वारा नामांकन आवश्यक है. सामान्य रूप से यह आग्रह किया जाता है कि नामिति बीमित व्यक्ति का बहुत ही करीबी रिश्तेदार होना चाहिए. यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पॉलिसी में प्रस्ताव चरण में आवश्यक रूप से नामांकन किया जाए. यद्यपि किसी परवर्ती समनुदेशन या नामांकन परिवर्तन पर, समनुदेशन या नामांकन में परिवर्तन की सूचना निगम के कार्यालय में पंजीकरण के लिए जमा की जानी चाहिए, जहाँ इस पॉलिसी की सेवा दी जाती है. समनुदेशन या नामांकन के पंजीकरण में निगम इसकी वैधता और विधिक प्रभाव से संबंधित न तो कोई उत्तरदायित्व लेता है, और न ही कोई अभिमत प्रकट करता है.

Part C - Benefits

The following benefits are payable under this policy:

1. **Death Benefit:** On death of the Life Assured before the stipulated Date of Maturity.
   On death during first five policy years:
   Basic Sum Assured i.e. 10 times the Tabular Single Premium shall be payable.
   On death after completion of five policy years:
   Basic Sum Assured i.e. 10 times the Tabular Single Premium along with Loyalty Addition, if any, shall be payable.
2. **Survival Benefits:** On Life Assured surviving to the end of the specified durations, the following Survival benefits shall be payable:
   At the end of 10th policy year: 15% of the Maturity Sum Assured.
   At the end of 11th policy year: 20% of the Maturity Sum Assured.
3. **Maturity Benefit:** On Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity, 65% of the Maturity Sum Assured along with Loyalty Addition, if any, shall be payable.
4. **Participation in the Profits of the Corporation:** This policy shall be eligible for share in surplus (profits) in the form of Loyalty Addition, depending upon the experience of the Corporation. The Loyalty Addition, if any, shall be payable on death or surrender, provided this policy has run for at least five policy years, or on policyholder surviving to the maturity, at such rate and on such terms as may be declared by the Corporation.

Part D

CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS

1. **Proof of Age :** The premium having been calculated based on the Maturity Sum Assured and the age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938, the premium shall be payable in such cases at the rate calculated on the Maturity Sum Assured for the correct age at entry, and the accumulated difference between the premium for the correct age and the original premium, from the commencement of the policy up to the date of such payment shall be paid to the Corporation with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time. However, in case the Life Assured /Proposer does not pay the above mentioned accumulated debt, the accumulated difference between the premium for the correct age and the original premium from the commencement of this policy up to the date on which the Policy becomes a claim, with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time, shall accrue and be treated as a debt due by the Life Assured / Proposer against the said Policy and will be deducted from the Policy moneys payable on the policy becoming a claim.

   Provided further that if the Life Assured's correct age at entry is such as would have made him/her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the class or terms shall stand altered to such Plans of Assurance as are granted by the Corporation according to the practice in force at the commencement of this Policy subject to the consent of the policyholder, otherwise the policy will be cancelled and the surrender value will be paid as on the date of such cancellation.

2. **Policy Loan:** Provided the policy has run for at least one year, then policy loan may be granted within the surrender value of the policy, subject to the production of satisfactory title and following terms and conditions and on such further terms and conditions as the Corporation may fix from time to time:
   (i) the Policy shall be assigned absolutely to and held by the Corporation as security for the repayment of loan and of the interest thereon;
   (ii) Interest on the loan shall be paid on compounding half-yearly basis to the Corporation at the rate to be specified by the Corporation when the relative loan is sanctioned. The first payment of interest is to be made on the next policy anniversary or on the date six months before the next policy anniversary whichever immediately follows the date on which the relative loan is sanctioned and every half year thereafter. Interest is charged for a minimum period of six months;
   (iii) In case the policy shall mature or whenever any survival benefit falls due or surrender or becomes a claim by death, the Corporation shall become entitled to deduct the amount of the loan or any portion thereof which is outstanding, together with all outstanding interest, from the policy moneys.
   (iv) The maximum loan that shall be granted as a percentage of surrender value for different policy years is as under:

Policy Year	2nd to 3rd	4th to 6th	7th to 9th	10th to 12th
Loan Amount as a % of Surrender Value	50%	60%	70%	90%

3. **Surrender:** The policy can be surrendered at any time during the policy term. The Guaranteed Surrender Value allowable shall be as under:
   - First year: 70% of the Single premium paid excluding taxes and extra premiums, if any.
   - Thereafter: 90% of the Single premium paid excluding taxes, any extra premium paid and survival benefits, if paid earlier.

   However, under this policy, Special Surrender Value will be payable, if it is more favourable to the Policyholder. The Special Surrender Value will be the discounted value of (Maturity Sum Assured less Survival Benefits, if paid earlier). These discounting factors i.e. Special Surrender Value factors applicable to this policy may change from time to time with prior approval of the IRDA.

   If the policy is surrendered after completion of five policy years, Loyalty Addition, if any, shall be payable which will be based on surrender value.

Part E Not Applicable

Part F

OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. **Free Look period:** During the Free Look period if the Policyholder is not satisfied with the Terms or Conditions, he/ she may return the policy to the Corporation stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the policy and return the amount of single premium deposited after deducting the proportionate risk premium for the period on cover, stamp duty charges and any charges incurred on medical examination and special reports.
2. **Assignments and Nominations:** Assignment is allowed under this plan as per section 38 of the Insurance Act, 1938.
   Nomination by the holder of a policy of life assurance is required as per section 39 of the Insurance Act, 1938. It is generally insisted that the nominee shall be very close relative of the Life Assured. The notice of assignment, nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering an assignment or nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.